



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 21-2024/Ext.]

चण्डीगढ़, वीरवार, दिनांक 8 फरवरी, 2024

(19 माघ, 1945 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या सांकांनि० 4/संवि०/अनु० 309/2024, दिनांक 8 फरवरी, 2024— हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2024.	81-82
	2. अधिसूचना संख्या कांआ० 8/पं०अ० IV/1872/धा० 39क/2024, दिनांक 8 फरवरी, 2024— हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या कांआ० 61/पं०अ० IV/1872/धा० 39क/ 2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 में संशोधन करने बारे।	83-84
भाग-IV	शुद्धि पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग-III**हरियाणा सरकार****कार्मिक विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 8 फरवरी, 2024

संख्या सांका०नि० 4/संवि०/अनु० 309/2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2024 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 में, नियम 11 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (III) में, उप-खण्ड (ii) में, "हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा (अनिवार्य पेपर) में प्रत्येक में कम से कम तैंतीस (33) प्रतिशत अंक प्राप्त न किए हों।" शब्दों तथा चिह्नों के बाद, निम्नलिखित शब्द तथा चिह्न रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"तथापि, जहाँ संदर्भित दिव्यांगजन उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो आयोग 45 प्रतिशत अंकों की उक्त सीमा को 35 प्रतिशत अंकों तक कम कर सकता है।"

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT**PERSONNEL DEPARTMENT****Notification**

The 8th February, 2024

No. G.S.R. 4/Const./Art. 309/2024.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Civil Service (Executive Branch) Amendment Rules, 2024.
2. In the Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008, in rule 11, in sub-rule (1), in clause (III), in sub-clause (ii), after the words and signs “a score of minimum thirty-three percent (33%) marks in English and Hindi language (compulsory papers).”, the following words and signs shall be inserted, namely:-

“However, where sufficient number of candidates being persons with benchmark disabilities are not available, the Commission may lower the said limit of 45% marks upto 35% marks.”.

SANJEEV KAUSHAL.

Chief Secretary to Government, Haryana.